न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 153/2015
दर्ज दिनांकः 17/09/2015
निर्णय दिनांकः 15/02/2018

1. रामकुंवार पुत्र छीतर
2. कानाराम पुत्र छीतर
3. गोपीराम पुत्र छीतर
4. कैलाश पुत्र छीतर

समस्त जातियानः बैरवा, निवासीयानः बोकडावास, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. घासी पुत्र सुवा
2. लालाराम पुत्र सुवा
3. कजोड पुत्र नाथू
4. बिरधा पुत्र नाथू
5. कैलाश पुत्र नाथू

समस्त जातियान बैरवा, निवासीयानः बोकडावास, तहसील फागी, जिला जयपुर।

6. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

––अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादीगण/प्राथ्रीगण ने मान्य न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया है जिसमें वादीगण/प्रार्थीगण को सफलता की पूरी–पूरी आशा है। आराजी खाता संख्या 29 के खसरा नंबर 84 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 85 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बोकडावास, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमे से प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 का 1/3 हिस्सा है एवं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है एवं सरकारी लगान जमा कराते आ रहे है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही हिन्दू परिवार के वंशज है व सदस्य है। प्रार्थीगण छीतर के पुत्र एवं भैरू के पौत्र है तथा विवादित आराजी में अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर अपने हिस्से को काफी उन्नत व उपजाऊ बना लिया है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता सुवा के फौत होने के पश्चात् विरासत से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड का अंकन हो गया है लेकिन अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण ने बाहमी बंटवारा कर आराजीयात को अपने अपने हिस्से अनुसार बांटकर अपने बुजुर्गो के समय से ही काबिज काश्त है इसलिये पारिवारिक बंटवारा एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् प्रार्थीगण कानूनन हक व हिस्सा पाने एवं उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने के अधिकारी है। उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पत्ति होने से हक व हिस्सा जन्मजात बनता है व आराजी में प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज होकर मौके पर करीबन 25–30 सालो से ही पुख्ता खाम मकान बनाकर निवास करते चले आ रहे है परन्तु प्रार्थीगण को अपने हक व हिस्से से महरूम करने की नियत से अप्रार्थीगण अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड होने का नाजायज फायदा उठाते हुए विवादित आराजी में अपने नाम दर्ज हिस्से को बेचान करने की धमकी देने लगे है। प्रार्थीगण द्वारा यह पूछे जाने पर कि विवादित आराजी अपनी संयुक्त हिन्दू परिवार

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

की सामलाती आराजी है जिसमे हमारा भी हक व हिस्सा है और हमारे हिस्से पर हम काबिज है इसका आप बेचान नहीं कर सकते परन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी है कि आराजी हमारे नाम रिकॉर्ड में दर्ज है इसे कभी भी किसी दीगर व्यक्ति को बेचान कर देगे जो बलशाली व पैसे वाला व्यक्ति होगा जो लाठी के बल पर तुम्हे तुम्हारे कब्जे से बेदखल कर देगे एवं तुम्हारे बने हुये पुख्ता खाम मकानो को तुडवाकर ही हम लेगे इसलिए प्रार्थीगण को यह वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी आया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है एवं आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसका बाला–बाला बेचान कर प्रार्थीगण को अपने हक व अधिकारो से महरूम करना चाहते है आराजी का मौके पर विधिवत प्रार्थीगण के नाम नहीं होने से आये दिन जमीन नाम लगवाने को लेकर लडाई झगडा हो रहा है तथा भूमाफिया लोग व अप्रार्थीगण साथ मिलकर कुछ अन्य अजनबी व्यक्तियो को साथ लेक आते है तथा यह धमकी भी देते है कि हमने इस आराजी को इन व्यक्तियो को बेचान कर दिया है जो रातो रात इस आराजी भूमि पर काबिज हो जायेगे इसलिए प्रार्थीगण के हक की घोषणा फरमायी जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण उक्त प्रकार से जबरन आराजी को बेचान करने की धमकी देकर प्रार्थीगण को अपने हिस्से से बेदखल कर अजनबी व्यक्तियो को कब्जा करवाने की नाकाबिले कोशिश करने लगे है जो कभी भी मौका देखकर प्रार्थीगण को उक्त कब्जेशुदा व खाम पुख्ता मकानशुदा भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को अपने कब्जेशुदा व पुख्ता खाम मकानो को तोडकर मौके से लाठी के बल बेदखल कर देगे तो प्रार्थीगण को अपने हक व हिस्से से महरूम होना पडेगा इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। आराजीयात पर प्रार्थीगण अपने बुजुर्गो के समय से ही बाहमी बंटवारा कर उक्त आराजी पर निर्बाध रूप से ही बाहमी बंटवारा कर उक्त आराजी पर निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक 40–50 वर्षो से काबिज होकर मौके पर पुख्ता खाम मकान बनाकर निवास कर रहे है एवं अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के तहत् एडवर्स पजेशन के

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। दिनांक 10.09.2015 को अप्रार्थीगण अपने साथ पांच सात अजनबी व्यक्तियो को साथ लेकर आये एवं आराजीयात को बेचान करने की बातचीत करने लगे जब प्रार्थीगण ने आराजी बाबत बेचान की बात सुनी तो अप्रार्थीगण को बेचने से मना करने पर अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि आराजी राजसव रिकॉर्ड में हमारे नाम है जिसको हम रातो रात दीगर व्यक्तियो को बेचान कर तुम्हे कब्जे काश्त एवं तुम्हारे हक से बेदखल कर दम लेगे अगर अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादो में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को नातलाफी नुकसान होगा एवं अपने हक व हिस्से से महरूम होना पडेगा इसलिये न्यायहित में अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। आराजी पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार बांटकर मौके पर काबिज काश्त है इसलिए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी को बेचान रहन, मुन्तकिल नहीं करे, न ही कब्जे से बेदखल करे एवं किसी प्रकार की मजाहमत ना स्वयं करे, ना ही अन्य से करावे तथा मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 08.10.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 17.11.2016 को अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 ने जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया, जवाब बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, जवाब प्रार्थनापत्र इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन

यह पाया गया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीगण ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी घोषणा भैरू के वंशज होने, आराजीयात पुश्तैनी होने, आराजीयात गलत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत चाही है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहा है।

वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का हक हिस्सा है अथवा नहीं इस बिन्दु का निर्धारण वाद के अंतिम निर्णय के समय किया जावेगा। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, इस कारण अप्रार्थी के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थी को कारित हो सकती है। प्रथमदृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन भी बमुकाबिले प्रार्थीगण अप्रार्थी प्रबल है। न्यायहित में मेरे विनम्र मत में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जि॰-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)